संख्या—2919 / अठठासी—2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग

लखनऊ दिनांक, 23 अक्टूबर,2009

विषय—खाद्य एवं औषधि सम्बन्धी वादों के योजित करने एवं प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु एक जनपद में एक अभियोजन अधिकारी एवं एक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के विक्रय एवं निर्माण के निवारण हेतु खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 तथा नकली, अधोमानक, अपमिश्रित तथा मिथ्याछाप औषधियो के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1945 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयो में वाद योजित किये जाते है। वर्तमान में खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, अपमिश्रित, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों सम्बन्धी लगभग 31,000 अपराधिक वाद प्रदेश के विभिन्न न्यायालयो में लम्बित है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदो में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत योजित वादों की तैयारी तथा विचारण में पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों /शासकीय अधिवक्ताओं का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। परिणामतः वादो का शीघ्र निस्तारण न होने के कारण लम्बित वादो की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा खाद्य एवं औषधि से सम्बन्धित वादों में अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराकर दण्डित कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

2. आप अवगत है कि खाद्य एवं औषधि आम जनता के जीवन एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए पदार्थ है। नकली, अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के कारण जन स्वास्थ्य पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः खाद्य एवं औषधि में अपमिश्रण अथवा नकली पदार्थों के निर्माण में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोर और प्रभावी कार्यवाही तत्परता से किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यदि ऐसे तत्वों को शीघ्र सजा नहीं मिलती है, तो विभाग द्वारा लिये जा रहे सैम्पल्स का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है।

3. उक्त सन्दर्भित अधिनियमों का प्रवर्तन जिला स्तर पर खाद्य निरीक्षको और औषधि निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। खाद्य निरीक्षक तथा औषधि निरीक्षकों द्वारा ही वाद योजित करने हेतु वाद—पत्र तैयार किए जा रहे है तथा वादों में बहस भी की जा रही है। ये अधिकारी कई बार अधिवक्ताओं की भांति न्यायिक प्रक्रिया तथा साक्ष्यों के परीक्षण हेतु कार्यकुशल नहीं होते है। अतः यह आवश्यक है कि खाद्य एवं औषधि से सम्बन्धित वादो की प्रभावी पैरवी मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोजन अधिकारी तथा सत्र न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) द्वारा किया जाय।

4. जनपद स्तर पर शासन द्वारा विभिन्न अधिकारियों/अधिवक्ताओं को अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनमें से यदि एक अभियोजन अधिकारी एवं एक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को खाद्य एवं औषधि सम्बन्धी मामलों में पैरवी हेतु जनपद स्तर पर नामित कर

दिया जाय, तो सम्बन्धित अधिकारी की उक्त अधिनियमों में विशेषज्ञता की वृद्धि होगी साथ ही औषधि निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों द्वारा उनसे सम्पर्क स्थापित कर सभी मामलों में प्रभावी पैरवी हो सकेगी।

5. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में खाद्य एवं औषधि से संबंधित वादों की पैरवी हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए एक सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी तथा सत्र न्यायालय के लिए एक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को नामित किया जाय।

6. अस्तु, मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप उपरोक्तानुसार खाद्य एवं औषधि के वादों की प्रभावी एवं तत्परता से पैरवी हेतु एक–एक अभियोजन अधिकारी एवं शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को नामित करते हुये सूचना शासन को उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में आपसे यह भी अनुरोध है कि शासकीय अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारियों की मासिक बैठक में खाद्य एवं औषधि से जुड़े वादों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करने की भी व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव

संख्या 2919(1)/अठ्ठासी–09–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1– स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रि मण्डलीय सचिव के अवलोकनार्थ।

2– मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3. प्रमुख सचिव न्याय, उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।

5. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 ।

6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव,